उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–738 / XX–4 / 2018–45(कारा0) / 2016
देहरादून : दिनांक 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 22–03–2018 में पारित निर्णय के क्रम में अधिसूचना संख्या–662 /बीस–4 / 2018–45(कारा0) / 2016, दिनांक06.04.2018 के द्वारा 'उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट) / मुख्य भेषजिक (चीफ फर्मासिस्ट) सेवा नियमावली, 2018' प्रख्यापित की गयी है।

यह नियमावली निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–738 / XX–4 / 2018–45(कारा0) / 2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि नियमावली को सरकारी गजट पर प्रकाशित कराकर इसकी 150–150 प्रतियां गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– 662 / XX–4 / 2018–45(कारा) / 2016
देहरादून : दिनांक 06 : अप्रैल, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट) / मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट) / मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) सेवा नियमावली, 2018

भाग – 1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट) / मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) सेवा नियमावली, 2018 कहलायेगी।
(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक एवं उत्तराखण्ड कारागार विभाग मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें क्रमशः समूह 'ग' व 'ख' के पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से भेषजिक के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड से एवं मुख्य भेषजिक के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव / सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है ;
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो, या भारत का नागरिक समझा जाता है ;
(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है ;
(घ) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है ;
(ड़) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;
(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;
(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से / मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक सेवा अभिप्रेत है;
(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से अभिप्रेत सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ; तथा
(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – 2
संवर्ग

सेवा संवर्ग

4 (1) सेवा और उसमें प्रत्येक संवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) सेवा के प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट–क में दी गयी है ;

परन्तु, यह कि–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें।

भाग – 3
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 सेवा में विभिन्न श्रेणीयों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

1. मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी भेषजिकों (फार्मासिस्ट) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
2. भेषजिक (फार्मासिस्ट) :– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – 4
अर्हता

राष्ट्रीयता

7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगान्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रिकी देशों से प्रर्वजन किया हो,

परन्तु, यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा

भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो वह जारी किया गया हो और न नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8 सेवा में भेषजिक (फार्मासिस्ट) पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए –

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा, जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(दो) सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिकी (फॉर्मेसी) का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फॉर्मेसी काउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत भी हो।

(तीन) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता 9 अभ्यर्थी जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अधिमान दिया जायेगा।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हता 10 सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

आयु 11 सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए ;

परन्तु, यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

चरित्र 12 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13 पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथा यदि कोई महिला जिसके एक से अधिक जीवित पति हो, तो वह सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगी ;

परन्तु, यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी पुरूष या महिला को इस नियम के

प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

14 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे –

सेवा के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

परन्तु, यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु, यह और भी कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगो को नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग– 5
भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16 (1) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 यथासंशोधित के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी रिक्त पदों को आगणित करते हुये भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अधियाचन, जिसमें उर्ध्व एंव क्षैतिज आरक्षण के सापेक्ष आरक्षित पदों की ही गणना की जायेगी, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध करायेंगे।

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त् इस नियमावली के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया पूर्ण कर अपनी संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्टो) पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17 (1) उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली 2002 के अनुबन्धों के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जायें विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) विभागीय चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) विभागीय चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूचियाँ तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग – 6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18 नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें की नियम–15 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

परिवीक्षा

19 (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे,

परन्तु, यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20 परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

21 सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग – 7
वेतन आदि

वेतनमान

22 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान ऐसे होंगे जैसे परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नही है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो समयमान में पृथक वेतनवृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी, तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा

के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी ;

परन्तु, यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगाः

परन्तु, यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग– 8
अन्य प्राविधान

अधियाचन

24 किसी पद पर या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति लिखित या मौखिक पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25 ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

26 यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुसूचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे,

परन्तु, यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

27 इस नियमावली को किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट– 'क'

{ नियम–4(2) तथा नियम–22(2) देखिए }

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1	भेषजिक (फार्मासिस्ट)	रू0 35400–112400 लेवल–6 (02 वर्ष की सेवा के उपरान्त) रू0 44900–142400 लेवल–7	15
2	मुख्य भेषजिक (मुख्य फार्मासिस्ट)	रू0 56100–177500 लेवल–10	04